

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940
No. 81]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना
मुम्बई, 4 फरवरी, 2019

बैवि.आइबीडी.सं. 6408/23.13.046/2018-19.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये :—
“डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड”

लिली वडेरा, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./557/18]

**RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 4th February, 2019

DBR. IBD No. 6408/23.13.046/2018-19.— In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following:—

“DBS Bank India Limited”

LILY VADERA, Executive Director
[ADVT.III/4/Exty./557/18]